



**:: निविदा सूचना ::**

राजस्थान इकाई में फसल वर्ष 2024-25 के लिए विभिन्न अफीम तौल केन्द्रों जैसे छबड़ा, झालावाड़, निम्बाहेडा, सिंगोलीश्याम, रामगंजमंडी, छोटीसादडी, चित्तौडगढ़, भीलवाड़ा एवं प्रतापगढ़ इत्यादी से अफीम कन्टेनरों को शासकीय अफीम एवं शारोद कारखाना, नीमच तथा अफीम के खाली कन्टेनरों को शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच से विभिन्न अफीम तौल केन्द्रों पर अफीम कन्टेनरों एवं C.P.S. पद्धति के तहत डोडो बंद ट्रकों द्वारा निर्देशानुसार सुरक्षित रूप से पहुँचाने हेतु निविदाएँ आमंत्रित की जाती है।

1. विभाग को 20 से 25 बंद ट्रकों की आवश्यकता होगी, जिनकी संख्या आवश्यकतानुसार कम या ज्यादा भी की जा सकती है।
2. ट्रक, टर्बो 32 फीट लम्बाई के होने चाहिए जो पूरी तरह से बंद हो एवं जिनके दरवाजों पर ताला लगाकर सील किया जा सके एवं जिनको GPS द्वारा track किया जा सके।
3. सभी केन्द्रों पर अफीम तौल कार्य एक साथ आरंभ होगा, जो माह मार्च, 2025 के अंतिम सप्ताह अथवा अप्रैल 2025 के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ होकर लगभग 20 दिनों तक चलेगा जो कम या ज्यादा हो सकता है।
4. इच्छुक फर्म अपनी मुहरबंद निविदाओं के लिफाफे दिनांक 20.03.2025 दोपहर 12:00 बजे तक कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, कोटा में प्रस्तुत कर सकते हैं। दिनांक 20.03.2025 दोपहर 12:00 बजे के पश्चात प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
5. इच्छुक फर्म को अपनी निविदाएं दो प्रकार की प्रणालियों में जमा करनी होगी, जो की निर्धारित प्रोफार्मा (अनुलग्नक-I और II) में (i) तकनीकी बोली और (ii) वित्तीय बोली है। उपरोक्त सभी तौल केन्द्रों हेतु केवल एक ही योग्य फर्म (न्यूनतम दर, सभी करों सहित वाले निविदादाता) को कार्यादेश दिया जायेगा।
6. तकनीकी बोलियों (Technical Bids) को केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, कोटा को मूल्यांकन समिति द्वारा 20.03.2025 को दोपहर 16:00 बजे खोला जाएगा और केवल उन बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां जो की तकनीकी बोलियों में योग्य है, दिनांक 20.03.2025 को दोपहर 16:30 बजे कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, महावीर नगर प्रथम, झालावाड़ रोड़, कोटा - 324005, राजस्थान में खोली जाएंगी।




### नियम एवं शर्तें

1. निविदा में प्रतिदिन प्रति ट्रक किराया एवं डीजल मात्रा (किलोमीटर/प्रति लीटर) के अनुसार दर्शाना होगा। निविदा में प्रतिदिन किराये में गुड्स एवं सर्विस टैक्स व अन्य टैक्स भी अलग-अलग दर्शाए जाने चाहिए।
2. ट्रकों की टूट-फूट रिपेयरिंग की जिम्मेदारी स्वयं पार्टी की होगी।
3. ऐसे जिम्मेदार निविदादाताओं को प्राथमिकता दी जावेगी, जिनके पास उक्त वांछित संख्या से ज्यादा ट्रक उपलब्ध हों।
4. निविदादाता को दो अलग-अलग मोहरबंद लिफाफों में अपनी निविदा देनी होगी। जिसमें पहले लिफाफे पर "अफीम/डोडा परिवहन हेतु बन्द ट्रक की निविदा हेतु तकनीकी बोली" एवं दूसरे लिफाफे पर "अफीम/डोडा परिवहन हेतु बन्द ट्रक की निविदा हेतु वित्तीय बोली" लिखना होगा।
5. निविदादाताओं को प्रति निविदा के साथ धरोहर राशि के रूप में रु. 4,00,000/- (रुपये चार लाख) मात्र का बैंक ड्राफ्ट जो "आहरण एवं संवितरण अधिकारी, कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, कोटा" के नाम पर देय हो, वित्तीय बोली वाले लिफाफे के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा एवं धरोहर राशि के ड्राफ्ट की एक प्रतिलिपि (copy) तकनीकी बोली वाले लिफाफे के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
6. यदि निविदादाता का बोली में चयन होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य करने के लिये मना करता है तो उसके द्वारा जमा की गयी धरोहर राशि विभाग द्वारा जब्त कर ली जायेगी एवं दूसरी सबसे कम दर वाले निविदादाता को कार्यादेश प्रदान किया जावेगा, जिसके बारे में पुनः विचार नहीं किया जायेगा।
7. सभी केन्द्रों पर अफीम तौल कार्य एक साथ आरंभ होगा, जो माह मार्च, 2025 के अंतिम सप्ताह अथवा अप्रैल, 2025 के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ होकर लगभग 20 दिनों तक चलेगा, जो कि कम या ज्यादा हो सकता है। ट्रकों की संख्या घटायी या बढ़ायी जा सकती है एवं अफीम तौल केन्द्र भी बदले जा सकते हैं। अफीम तौल कार्य प्रारंभ होने की सूचना फर्म को पूर्व में ही दे दी जाएगी।
8. टोल टैक्स का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाएगा, जिसका भुगतान मूल बिल प्रस्तुत करने पर विभाग से प्राप्त किया जा सकेगा।
9. नोडल बिन्दु कार्यालय जिला अफीम अधिकारी कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ होगा। आपको सभी ट्रक आदेशानुसार कार्यालय जिला अफीम अधिकारी कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़-I/II/III, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़- I/II खण्ड के विभिन्न अफीम तौल केन्द्रों पर निर्धारित समय एवं दिनांक पर आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाने होंगे।



10. इस संबंध में किसी भी तरह की जानकारी के लिए कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, कोटा में 10:00 बजे से 17:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस (शनिवार एवं रविवार को छोड़कर) में श्रीमान अरविन्द सक्सेना, अधीक्षक से फोन नं. 0744-2429119 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
11. यदि निविदादाता द्वारा निश्चित समय पर ट्रक उपलब्ध नहीं करवाया जाता है, अथवा परिवहन के दौरान ट्रक खराब हो जाता है तो विभाग को यह अधिकार होगा कि वह कार्य निष्पादन हेतु किसी भी स्थानीय फर्म से ट्रक भाड़े पर ले लेवे तथा इस संबंध में हुये नुकसान की क्षतिपूर्ति का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जायेगा।
12. वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाईसेन्स व वाहन का वैध रजिस्ट्रेशन व इन्श्योरेन्स होना अनिवार्य है।
13. ट्रक वाहन चालक व क्लीनर को किसी भी प्रकार के नशे का व्यसन नहीं होना चाहिये।
14. फर्म द्वारा संतोषजनक कार्य न किये जाने की स्थिति में फर्म का भुगतान रोका जा सकता है या बिल राशि में 25 प्रतिशत तक कटौती की जा सकती है एवं धरोहर राशि भी जप्त की जा सकती है।
15. श्रीमान उप नारकोटिक्स आयुक्त, कोटा को यह अधिकार होगा कि यह बिना कोई कारण बताए एक या सभी निविदा को निरस्त कर सकते हैं। इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जायेगा। सर्वाधिकार श्रीमान उप नारकोटिक्स आयुक्त, कोटा के पास सुरक्षित रहेगा।
16. इस संदर्भ में कोई भी कानूनी कार्यवाही कोटा न्यायालय के अधीन होगी।
17. केवल वही फर्म निविदाएँ प्रस्तुत करें जो जी.एस.टी में पंजीकृत हो व आयकर रिटर्न भरती हो। साथ ही वस्तु एवं सेवा कर (GST) पंजीकरण संख्या (अभिप्रमाणित प्रति) एवं FY 2023-24 (AY 2024-25) की आयकर रिटर्न (ITR) प्रति निविदा के साथ संलग्न करें।

  
अधीक्षक (कार्यपालक)



## तकनीकी बोली (Technical Bid)

(केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की राजस्थान इकाई में फसल वर्ष 2024-25 हेतु तौल केन्द्रों पर ट्रक किराये पर देने के लिए)

1.	टेंडरिंग कंपनी का नाम (कंपनी के संक्षिप्त प्रोफाइल के साथ पंजीकरण का प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
2.	कंपनी के प्रोप्राइटर/ निदेशक का नाम	
3.	टेलीफोन नंबर फैक्स और ई-मेल के साथ पंजीकृत कार्यालय का पूरा पता	
4.	ऑपरेटिंग/शाखा कार्यालय का पूरा पता टेलीफोन नंबर फैक्स और ई-मेल के साथ	
5.	FY 2023-24 (AY 2024-25) की आयकर रिटर्न (ITR) प्रति संलग्न करें।	
6.	वस्तु एवं सेवा कर (GST) पंजीकरण संख्या (अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)	
7.	शपथ पत्र यह बताते हुए कि कंपनी को पिछले तीन वर्षों में केन्द्र/राज्य सरकार/पीएसयू द्वारा न तो ब्लैकलिस्ट किया गया है (प्रतिलिपि संलग्न करें) और न ही किसी भी सरकारी विभागों के साथ कोई मुकदमेबाजी लंबित है। (रु. 100 के स्टाम्प पर)	
8.	चोखाघड़ी और भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में घोषणापत्र (निविदा दस्तावेज में दिये गए एनेक्सर-11 में विधिवत हस्ताक्षरित और प्रमाणित	
9.	निविदा दस्तावेज निष्पादित करने के लिए फर्म द्वारा किसी व्यक्ति का प्राधिकरण पत्र (authorisation letter)	
10.	32 फीट लम्बाई वाले उपलब्ध टर्बो ट्रकों की संख्या, जिन्हें GPS द्वारा track किया जा सके। सूची संलग्न करें।	

तारीख-

स्थान -

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर मय सील



वित्तीय बोली (Financial Bid)

(केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की राजस्थान इकाई में फसल वर्ष 2024-25 हेतु तौल केन्द्रों पर ट्रक किराये पर देने के लिए) सभी करां सहित

1.	बोलीदाता फर्म का नाम	
2.	पता (टेलिफोन नम्बर एवं फैक्स नम्बर के साथ)	
3.	प्रोप्राईटर/निदेशक/भागीदार का नाम व पता (मोबाइल नम्बर के साथ)	
4.	प्रतिदिन प्रति ट्रक किराया (रूपयों में)	
5.	डीजल की मात्रा (किलोमीटर प्रति लीटर)	
6.	जी.एस.टी	
7.	अन्य	

तारीख-

स्थान -

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर मय सील



धोखाधड़ी और भ्रष्ट आचार के बारे में घोषणा

मैं/ हम यह प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि पिछले तीन वर्षों में, मैं/हम न तो किसी अनुबंध के अनुपालन में असमर्थ रहा/रहे हैं और न ही मैं/हम पर किसी मध्यस्थ अथवा न्यायिक अधिकारी द्वारा कोई जुर्माना लगाया गया है और न ही किसी भी परियोजना या अनुबंध के मेरे/हमारे भाग पर उल्लंघन के सम्बन्ध में किसी सार्वजनिक प्राधिकरण से निष्कासित किया गया है।

(क) मैं/हम किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी प्रतिनिधि एजेंट के माध्यम से किसी भ्रष्ट व्यवहार, धोखाधड़ी, बलपूर्वक, अवांछनीय कृत्य या प्रतिबंधकारक कार्य में लिप्त नहीं है जो कि किसी भी निविदा या प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम या किसी भी सरकार, केंद्रीय या राज्य के साथ दर्ज किए गए प्रस्ताव या किसी समझौते के संबंध में हो तथा

(ख) मैंने/हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि मेरी/हमारी तरफ से कोई भी व्यक्ति कोई भी गलत कार्रवाई नहीं करेगा या किसी भी भ्रष्ट व्यवहार, धोखाधड़ी, बलपूर्वक, अवांछनीय कृत्य या प्रतिबंधात्मक कार्य में लिप्त नहीं रहेगा।

मैं/हम यह प्रमाणित करते हैं कि हम या हमारे किसी भी एसोसिएट्स को किसी न्यायालय (Court of Law) द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है या न ही किसी नियामक प्राधिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में सूचित किया गया है या प्रतिकूल आदेश दिये गए हैं, जो अनुबन्ध (Project) को शुरू करने के लिए हमारी क्षमता पर संदेह करता है या जो एक गंभीर अपराध से संबंधित होता है जो समाज की नैतिकता को प्रभावित करता हो।

मैं/हम आगे प्रमाणित करते हैं कि देश की सुरक्षा और अखंडता से संबंधित मामलों के संबंध में सरकार की किसी भी एजेंसी द्वारा हम पर न ही कोई आरोप पत्र जारी किया गया है अथवा विधि न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है।

मैं/हम आगे यह भी प्रमाणित करते हैं कि नियामक प्राधिकरण (Regulatory Authority) द्वारा कोई जांच हमारे या हमारे सीईओ या हमारे निदेशकों/प्रबंधकों/कर्मचारियों के खिलाफ लंबित नहीं है।

तारीख -

स्थान -

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर मय सील